विक्रय पत्र

(Sale Deed)

(1) लेख्यकारी (विक्रेता) का नाम एवं पताः–

टी0सी0डब्लू0 रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ब्राण्ड नाम (दि सांई ग्रीन्स) फ्लैट नं0–402, तीसरा तल्ला, ओझा अपार्टमेन्ट एच0 डी0एफ0सी0 बैंक के पीछे 56/57, एस0पी0 मार्ग, सिविल लाईन्स इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) बजरिय डाईरेक्टर .... उम्र ..... वर्ष पिता–..... ..... पता–..... ..... पेशा–व्यवसाय भारतीय। PAN-AADCC5248E इसमें इनके उत्तराधिकारी स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है) जिसे आगे विक्रेता कहा गया है।

(2) लेख्यधारी (क्रेता) का नाम एवं पताः–

श्री/श्रीमती ..... उम्र ..... वर्ष पति/पिता–श्री ..... जाति ..... निवास स्थान, ..., पो0+थाना– ....., जिला– ....., पिन नं0– ....., राष्ट्रीयता .....। मो0–.....

(3) विलेख का प्रकार–निर्विवाद विक्रय–पत्र

(4) कुल विक्री मूल्य–अंकेन ..... (..... रुपये मात्र)

(5) सम्पति का विवरणः–

तमामी मवाजी ..... फीट ..... फीट = ... वर्गफीट (..... वर्गफीट) यानि ..... डिसमल जूजो एराजी हकियत कायमी वरुय पैमाईस सर्वे हस्व चौहद्दी जैल व वाके मौजा ..... परगणा ..... थाना वो अंचल वो सब रजिस्ट्री ..... हाल थाना नया गाँव जिला सारण, तौजी नं0–....., थाना नं0–....., पुराना जमाबंदी नं0– ....., अंदरपटटी बिहार सरकार लगान ..... रुपया/पैसा में सेस एराजी आवासीय रास्ता के निकट परती है।

चौहद्दी शै विक्रय पत्र

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		वर्गफीट	उत्तर– दक्षिण– पूरब– पश्चिम–

मिजान– ..... वर्गफीट (..... वर्गफीट) यानि ..... डिसमल। जमाबंदी नं0– .....अंचल कार्यालय में विक्रेता के.... ..... नाम से दर्ज है।
प्रस्तावित प्लॉट नं0– .....

संदर्भ

1. हकियत यह है कि खाने संख्या– ..... की सम्पति जिसका वर्णन उपर हो चुका है प्राप्त सम्पति जो वजरीय खरीदगी बैनामा नविस्ते ..... पिता ..... वगै0 सा0 ..... थाना– ....., जिला–..... मरकुमे ता0 ..... ई0 जिसका बुक नं0– ..... जिल्द नं0– ....., द0नं0 ..... टोकन नं0– .... निबंधन कार्यालय, ... बनाम टी0सी0डब्लू0 रियलटी प्राईवेट लिमिटेड के हासिल है जिस पर लेख्यकारी शांतिपूर्ण दखल–काबिज है।
2. लेख्यकारी को चन्द जरुरियातों की पूर्ति के लिए रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है खाने नं0– ..... की सम्पति को बिक्री किये बिना रुपयों का इन्तजाम होना मुश्किल वो नामुमकिन है। इसलिए लेख्यकारी ने खाते नं0– ..... की सम्पति को बिक्री करने के लिए प्रचार वो प्रसार किये वो अपने परिवारजनों वो हितौषियों वो शुभचिन्तकों से भी प्रचार वो प्रसार करवाये परन्तु लेख्यधारी ही खाने नं0– ..... की सम्पति मो0 ..... (..... रुपये) मात्र में खरीदने का तैयार हुए। लेख्यधारी के अलावा कोई अन्य दीगर व्यक्ति इससे ज्यादा कीमत इस समय देने को

तैयार नहीं हुए। समयानुसार लेख्यकारी खाने नं0– ..... की सम्पति का उचित मूल्य पाकर अपने परिवारजनों के भविष्य को नफा–नुकसान को समझ–बुझकर लेख्यधारी के साथ खाने नं0– ..... की सम्पति को बिक्री करने की बातचीत पक्की कर दिये अतएव लेख्यकारी बहैसियत खाने नं0– ..... की सम्पति के मूल सर्वाधिकारी, स्वामी, हकदार, दखलकार बनकर वो अपने तनम न एवं सम्पूर्ण ज्ञानइन्दियों की स्वच्छतावस्था वो शुद्धतावस्था में रहकर तथा अपने हितैषियों, परिवारजनों, शुभचिन्तकों से उचित परामर्श लेकर वो विचार–विमर्श करके बिना किसी अन्य बाहरी दवाब, प्रभाव, बहकाव, धमकाव तथा अड़चनों के अपने बिना मसरफ के लायक खाने नं0– ..... की सम्पति को मो0 ...../– (..... रुपये) मात्र सही वो दस्तखत बनाने वक्त खरीददार से वसूल पाये अब एक भी पैसा बाकी नही रहा अब जितना भी आगम निगम हक वो अधिकारी वो स्वामित्व लेख्यकारी वो अन्य दीगर को प्राप्त था या है या भविष्य में होता वो कुल अधिकार वो हक कुल कीमत चुकती होकर लेख्यधारी को प्राप्त हुआ वो समानरुपेण भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। लेख्यपत्र एवं संलग्न जारी नक्शा में जो भी तथ्य उल्लिखित किया गया है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमलोगों की होगी एवं राजस्व की भरपाई करेंगे। विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् विकास प्राधिकरण/ आवास विकास परिषद् द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का विकास शुल्क लिया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। लेख्यधारी खाने नं0– ..... की सम्पति को अपने इच्छानुसार व्यवहार में लाकर स्वतंत्र

रुपेण आचरण किया करेंगे एवं इस विक्रय पत्र के माध्यम से नाम अंचल कार्यालय में दर्ज कराकर लगान साल व साल अदाय किया करें वो रसीद बनाम खुद के लिया करेंगे। यानि सरकारी महकमें में अपना नाम दर्ज करा लेंवेंगे।

3. लेख्यकारी ने लेख्यधारी को यह विश्वास दिलाया है कि खाने नं0– ..... की सम्पति हर प्रकार की सम्पति संबंधी विवाद नुक्स हकियत स्वत्व दोष सरकारी या गैर सरकारी ऋणभार अवलंघन से मुक्त रहित पाक् वो साफ है तथा इस सम्पति पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तथा न किसी अन्य के साथ कसी किस्म का खाने नं0– ..... की सम्पति के बदले कोई कागज न लिखे हैं वो न किये हैं।

4. वफैल लेख्यकारी वो अन्य दीगर के फलस्वरुप या पूर्व किसी प्रकार की क्षति यदि खरीददार पक्ष को उठाना पड़े या खाने नं0– ..... की सम्पति दखल से बेदखल हो जायेंगे, वैसी परिस्थिति में लेख्यकारी के अन्मान्य चलाचल, नामी बेनामी, वो दीगर ज्यादाद से कुल कीमत खर्च वो समयानुसार क्षति के अनुसार पूर्ति लेख्यधारी वो अन्य अधिकार सम्पन्न व्यक्ति से कर लेवेंगे। इसमें किसी प्रकार का विरोध या आपत्ति किसी पक्ष को न है वो न भविष्य में होगा।

5. प्रमाणित किया जाता है कि इस विलेख में निहित सम्पति/ भूमि सभी प्रकार के ऋण भार एवं स्वत्व दोष से मुक्त है और न खास महाल, गैरमजरुआ, सिलिंग, भूदान, लाल कार्ड, कैसरे हिन्द, धार्मिक न्यास बोर्ड एवं अन्य किसी प्रकार की सरकारी भूमि है जो भूमि सरकारी अर्जन एवं निबंधन से

रोक मुक्त है, भविष्य में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी तो उसके लिए इस विलेख कि लेख्यकारी जिम्मेवार एवं जवाबदेह होंगे।

6. इस प्रकार लेख्यकारी ने अपने तन–मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी स्वेच्छा से विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

लेख्यकारी का हस्ताक्षर लेख्यधारी का हस्ताक्षर

प्रारुपकर्त्ता का हस्ताक्षर

अवर निबंधन कार्यालय, सोनपुर, सारण
विक्रय की गई जमीन का नजरी नक्शा

मौजा का नाम–
थाना नं0–
तौजी नं0–

उत्तर

पश्चिम पूरब

दक्षिण

खाता नं0–
सर्वे नं0–
रकवा–

विक्रेता का नाम– क्रेता का नाम–